(d) what counter steps are proposed to be taken against such situations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALIM IQBAL SHERWANI): (a) Yes Sir.

(b) to (d) Government has seen reports in the media regarding the United States' anti-ballistic missile activity including the employment of lasers for shooting down satellites in space. India's stand against use of anti-satellite (ASAT) weapons for prevention of arms race in outer space has been articulated in the relevant fora such as Conference on Disarmament in Geneva. India has also proposed negotiations for an international treaty to ban anti-satellite (ASAT) weapons. Government remains fully committed to taking all necessary steps to safeguard its security and national interest in accordance with its assessment of developments relating to India's security environment.

अवैध प्रवासियों को निकाला जाना

167. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने भारतीय लोगों को अवैध प्रवास के कारण अन्य देशों से निकाला गया;

(ख) भारतीयों को अवैध रूप से विदेश में भेजने के आरोप में कितने एजेंटों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) विगत दो वर्षों के दौरान विदेशों से अवैध प्रव्रजन (देशान्तरण) के आधार पर निकाले गए भारतीयों की संख्या के आंकड़े विदेश स्थित भारतीय मिशनो/केन्द्रों से एकत्र किए जा रहे है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सीबीआई ने उन 23 एजेंटों को चार्जशीट किया है जिनका माल्टा नाव दुर्घटना, जोकि दिसम्बर, 1996 में घटित हुई थी, में पंजाबी युवकों को अवैध रूप से भेजने में हाथ था। भारतीय नागरिकों को विदेशों में अवैध रूप से भेजने के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किए गए किन्हीं अन्य एजेंटों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह सूचना प्राप्त हो जाएगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) (i) भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से विदेशों में भेजने वाले बेईमान एजेंटों पर नियंत्रण करने के लिए उच्चस्तरीय अन्तर-मंत्रालय परामर्श किए गए हैं। उत्प्रवास अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में उत्प्रवास जांच चौकियों के लिए हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई है ताकि भोले-भाले लोगों के साथ धोखा न हो और उन्हें समुचित उत्प्रवास जांच के बिना अवैध रूप से विदेशों में नहीं ले जाया सके।

(ii) श्रम मंत्रालय में भर्ती एजेंटों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित विदेश स्थित मिशन के साथ परामर्श करके की जाती है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन मामलों के गुण-दोषों के आधार पर उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों के निलम्बित/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, छानबीन के लिए मामलों को पुलिस/सीबीआई के पास भेजा जाता है। 1994 से जून, 1997 तक, 41 भर्ती एजेंटों के पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निलम्बित और एक भर्ती एजेंट के प्रमाण-पत्र को रद्द किया गया है।

(iii) विदेश स्थित मिशन धोखेबाज भर्ती एजेंटों/नियोक्ताओं के नामों की सूची अप्रवास महा संरक्षक, श्रम मंत्रालय के पास भेजते हैं ताकि धोखाघड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्हें काली सूची में डाला जा सके।

(iv) चूंकि उत्प्रवास प्राधिकारी उत्प्रवास संरक्षक की ओर से कार्य करते हैं, अत: संरक्षकों को यह सुनिशिचत करने के लिए आकस्मिक जांच करने की हिदायतें दी जाती हैं कि उत्प्रवास अधिनियम के उपबन्धों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए और लोगों को उत्प्रवास अधिनियम जांच के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाए।

(v) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केवल वे व्यक्ति ही विदेश जा सकें जिन्हें विदेशों में रोजगार मिला है। श्रम मंत्रालय कामगारों द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक छानबीन करता है। सभी अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल मजदूरों की कुछ श्रेणियों के लिए विदेशों में रोजगार के लिए जाने से पूर्व वे श्रम मंत्रालय से उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं।

(vi) श्रम मंत्रालय के लाईसेंस नम्बर का हवाला दिए बिना विदेशों में रोजगार के लिए अखबारों में विज्ञापन देना, आवेदन मांगना एक संज्ञेय अपराध माना जाता है। श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उन विज्ञापन दाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के अनुदेश दोहराए हैं जो

पंजीकृत नहीं होते तथा जो विदेशों में रोजगार के लिए विज्ञापन देते हैं।

Free Training of Foreign Diplomats at Foreign Service Institute, New Delhi

168. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Foreign Service Institute, New Delhi has been training diplomats from the foreign countries;

(b) if so, the number of diplomats alongwith the names of their countries trained during the last three years;

(c) whether it is a fact that the training is imparted free of charge; and

(d) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWANI): (a) Yes, Sir.

(b) During 1995, 1996 and so far during 1997, a total of 253 foreign diplomats have been trained by the Foreign Service Institute. The diplomats who were trained during this period belonged to the following countries:-

Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bhutan, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Combodia, Central African Republic, Croatia, Czech Republic, Cuba, Djibouti, Dominca, Egypt, Estonia, Eritrea, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Hungary, Indonesia, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Kazakhstan, Kuwait, Kyrghyzstan, Lao PDR, Lativa, Lebanon, Liberia, Lithuania, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Malawai, Maldives, Mexico, Moldova, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Panama, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, South Africa, Sudan, Suriname, Sri Lanka, Syria, Swaziland, Tajikistan, Tanazania, Trinidad & Tobago, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzebkistan, Venezucla, Vietnam, Zambia & Zimbabwe.

(c) and (d) The Professional Courses for Foreign Diplomats (PCFD) conducted by Foreign Service Institute are fully funded by the ITEC (Indian Technical & Economic Cooperation) Programme, SCAAP (Special Commonwealth African Assistance Programme) and bilateral aid programmes. Training under the above programmes is generally imparted free of cost.

देश में पारपत्र कार्यालय

169 **श्रीमती मालती शर्मा:**
प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पारपत्र कार्यालयों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार और नये पारपत्र कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) इस समय देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय है। उनकी राज्यवार अवस्थिति संबंधी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) वर्तमान समय में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह गैर योजना व्यय समिति द्वारा अनुमोदित किए गए लगभग 28 करोड़ रूपए की लागत पर पासपोर्ट कार्यालयों के स्वचालन के प्रस्ताव के अनुरूप है। किसी नए कार्यालय की वृद्धि से प्रस्ताव का मापदण्ड परिवर्तित हो जाएगा तथा टेण्डर प्रक्रिया में देरी होगी।

विवरण

देश में पासपोर्ट कार्यालयों की राज्यवार अवस्थिति

	पासपोर्ट कार्यालयों की	अवस्थिति	राज्य
1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	अहमदाबाद	गुजरात
2.	पासपोर्ट कार्यालय	बंगलौर	कर्नाटक
3.	पासपोर्ट कार्यालय	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
4.	पासपोर्ट कार्यालय	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
5.	पासपोर्ट कार्यालय	बरेली	उत्तर प्रदेश
6.	पासपोर्ट कार्यालय	भोपाल	मध्य प्रदेश
7.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	भुवनेश्वर	उड़ीसा
8.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	मुम्बई	महाराष्ट्र
9.	पासपोर्ट कार्यालय	नागपुर	महाराष्ट्र
10.	पासपोर्ट कार्यालय	ठाणे	महाराष्ट्र
11.	पासपोर्ट कार्यालय	पुणे (स्थापित किया जा रहा है)	महाराष्ट्र
12.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	कलकत्ता	पं बंगाल
13.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	चंडीगढ़	पंजाब/ हरियाणा
14.	पासपोर्ट कार्यालय	जालंधर	पंजाब